उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग
पो. गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404
दूरभाष: 01334-244282, फैक्स: 244282
वैबसाइट:ukpsc.gov.in

संख्याः 4775/45/ई0–1/डी0पी0सी0/2015–16 दिनांक: 21 दिसम्बर, 2017

प्रेषक,

सचिव,
उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
हरिद्वार।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन,
श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग,
सचिवालय, देहरादून।

विषयः–सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति द्वारा चयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासन के पत्र संख्याः 1537/VIII/15–313(श्रम)/2002, दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 एवं पत्र संख्याः 180/VIII/17–313(श्रम)/2002, दिनांक 20 फरवरी, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत जिला/सहायक सेवायोजन अधिकारी से क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु अधियाचन प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया था। उक्त प्रस्ताव के कम में प्रकरण में दिनांक 20.04.2017 को निर्धारित चयन समिति की बैठक में शासन प्रतिनिधि के रूप में अपर सचिव के कम के अधिकारी को नामित किये जाने के कारण बैठक स्थगित की गयी। प्रकरण में पुनः चयन समिति की बैठक दिनांक 30.05.2017 व दिनांक 06.09.2017 को आयोग कार्यालय में निर्धारित की गयी, जिसमें शासन/विभाग द्वारा प्रतिभाग द्वारा प्रतिभाग न किये जाने के कारण बैठक आयोजित नहीं हो पायी थी।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में मा0 आयोग द्वारा पुनः **चयन समिति की बैठक दिनॉक 29.12.2017 को पूर्वाह्न 10.30 बजे, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में नियत की गयी है।**

3– यह अवगत कराना है कि प्रश्नगत पदोन्नति के प्रस्ताव पर विचार करने हेतु चयन समिति की बैठक से पूर्व निम्न सूचनाऐं अपेक्षित हैः–

(1) विभाग में क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के कुल सृजित पदों की संख्या तथा भरे गये एवं रिक्त पदों में सीधी भर्ती व पदोन्नति के पदों की संख्या के सम्बन्ध में सूचना अपेक्षित है।

(2) प्रश्नगत पदोन्नति का पद चयन वर्ष 2013–14 में दिनॉक 01.01.2014 को रिक्त होना दर्शाया गया है। उक्त पद जिस कार्मिक की पदोन्नति/सेवानिवृत्ति या अन्य किसी कारण से रिक्त हुआ है, उस कार्मिक के नाम सहित विवरण अपेक्षित है।

(3) पात्रता सूची में 05 कार्मिकों के नाम दर्शाये गये हैं, जबकि ब्राडशीट में 04 कार्मिकों के नाम उल्लिखित हैं। इस प्रकार पात्रता सूची के कार्मिक श्री एन0सी0 नैथानी का नाम ब्राडशीट में नहीं है। उक्त परिप्रेक्ष्य में पात्रता सूची के अनुसार वर्ष 2003–04 से वर्ष 2012–13 की गोपनीय चरित्र प्रविष्टियों के लिए ब्राडशीट व पात्रता सूची की मूल प्रतियां अपेक्षित हैं।

4– यह अवगत कराना है कि चयन समिति के लिए उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रकिया) नियमावली–2003 के नियम–11 के अनुसार शासन प्रतिनिधि, जो कि अपर सचिव पद से कम स्तर के न हों तथा विभाग के प्रतिनिधि के रूप में विभागाध्यक्ष को नामित किया जाना आवश्यक है।

कमशः......2

5– यह उल्लेख करना है कि पात्र कार्मिकों के सेवा अभिलेख, यथा वार्षिक चरित्र प्रविष्टियॉं इत्यादि मूलरूप में अभिलेखों से मिलान करने के लिए विभाग के विज्ञ अधिकारी के साथ दि0 27.12.2017 को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। अभिलेखों के परीक्षण करने के पश्चात मूल अभिलेख चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे।

अतः अनुरोध है कि कृपया नामित अधिकारीगण को चयन समिति की बैठक **दिनॉक 29 दिसम्बर, 2017 के पूर्वाह्न 10.30 बजे** में प्रतिभाग करने की सूचना प्रदान करते हुए, नामित सदस्यों के नाम, पदनाम व दूरभाष की सूचना अधोहस्ताक्षरी को ***फैक्स संख्या (01334–244282)***एवं **ई मेल– examoneukpsc@gmail.com** पर प्रेषित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आनन्द स्वरूप),
सचिव।

संख्याः /45/ई0–1/डी०पी०सी०/2015–16 तद्दिनॉक।
प्रतिलिपिः– निदेशक, सेवायोजन, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आनन्द स्वरूप),
सचिव।